सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी

सीएम हेल्पलाइन में 50 दिनों से अधिक लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण करें, गणतंत्र दिवस समारोह आयोजन की तैयारी बैठक हुई

नवभारत न्यूज
मऊगंज, 7 जनवरी, मऊगंज कलेक्टर संजय कुमार जैन की अध्यक्षता में आयोजित टीएल बैठक में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजन की समीक्षा की गई. कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि समन्वय के साथ कार्यक्रम के गरिमामय एवं सुव्यवस्थित संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं.

मुख्य समारोह स्थल में साफ-सफाई, बैठक व्यवस्था, सुरक्षा, विद्युत, पेयजल सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूर्व पूर्ण कर लें. कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में 50 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राथमिकता से शिकायतों का निराकरण कराते हुए संतुष्टिपूर्ण समाधान करें. उन्होंने जिले के सभी पेयजल स्त्रोतों के पानी की गुणवत्ता की जाँच कराने तथा पाइपलाइन सहित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट व पानी की टंकियों के पानी के सैम्पल लेकर गुणवत्ता टेस्ट करने के निर्देश दिए. उन्होंने हैण्डपंपों में क्लोरीन पाउडर डालकर पेयजल को शुद्ध करने के लिए भी निर्देशित किया. कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को नियत समय पर मिले और जनहित से जुड़े समस्त कार्य समय पर पूर्ण हों. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी. लापरवाही करने वाले पर सख्त कार्यवाही की जाएगी.

बैठक में पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी, अपर कलेक्टर पीके पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर एपी द्विवेदी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह, डिप्टी कलेक्टर पवन गोरैया सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे.

मऊगंज जिले के लिए तीन स्थानीय अवकाश घोषित

कलेक्टर मऊगंज संजय कुमार जैन ने जिले के लिए तीन स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं. वर्ष 2026 के लिए मकर संक्रांति 14 जनवरी, होलिका दहन 2 मार्च तथा करवा चौथ पर्व 29 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश रहेगा. यह अवकाश सभी शासकीय और अशासकीय कार्यालयों तथा शिक्षण संस्थानों में लागू होगा. कोषालय, उप कोषालय और बैंकों में स्थानीय अवकाश का आदेश लागू नहीं होगा.

वार्डों में सप्लाई होने वाले पानी के सैंपल लैब में जांच कराएं

नवभारत न्यूज
रीवा, 7 जनवरी, नगर निगम उपायुक्त प्रकाश द्विवेदी ने जलकर वसूली एवं जलप्रदाय से संबंधित निगम कर्मचारियों एवं पीएचई विभाग के कर्मचारियों की बैठक ली.

बैठक के दौरान निर्देश दिए कि शहर के जिन वार्डों, मोहल्लों अथवा गलियों में वर्तमान में जल आपूर्ति पर्याप्त रूप से नहीं हो रही है, वहां संबंधित कर्मचारी क्षेत्र में जाकर वास्तविक स्थिति की जांच कर पंचनामा तैयार कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. साथ ही शहर के सभी वार्डों में सप्लाई होने वाले पानी के सैंपल लैब में जांच कराने हेतु कलेक्ट करने के निर्देश दिए एवं जहां गंदे पानी की शिकायत सामने आती है, तो संबंधित क्षेत्र में जल प्रदाय टीम की टास्क फोर्स को रिपोर्ट भेज कर तुरंत सुधार कराने के निर्देश दिए. साथ ही जलकर वसूली से जुड़े कर्मचारियों अपने-अपने वार्ड की सभी गलियों और मोहल्लों में जाकर जलप्रदाय की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए कि किन क्षेत्रों में गंदा पानी आ रहा है, कहां पानी की सप्लाई नहीं पहुंच रही है और किन स्थानों पर लो प्रेशर की समस्या बनी हुई है. इस दौरान जलकर वसूली की भी समीक्षा करते हुए उपायुक्त श्री द्विवेदी ने कहा कि जिन वार्डों में कर्मचारियों की संख्या कम है, वहां आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि लक्ष्य के अनुरूप जलकर कलेक्शन करने के निर्देश दिए साथ शहर के सभी बड़े जलकर बकायादारों की सूची तैयार कर अभियान चला कर उनके नल कनेक्शन विच्छेदित करने के निर्देश दिए. शहर में जिन लोगों के नल कनेक्शन की डुप्लीकेट आईडी बनी हुई है, उन्हें चिन्हित कर डिलीट करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि शहर में ऐसे कई सरकारी या निजी संस्थान हैं, जो अब दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन उनके जलकर अभी भी बकाया हैं. बैठक के दौरान सहायक आयुक्त शीतल भलावी के साथ नगर निगम के कर्मचारी मौजूद रहे.

कलेक्टर ने जिले वासियों से ठंड से बचने की अपील की

नवभारत न्यूज
मऊगंज, 7 जनवरी, कलेक्टर संजय कुमार जैन ने शीत लहर से बचने जिलेवासियो से अपील करते हुए कहा है कि शीत ऋतु में फ्लू, खांसी, सर्दी, जुकाम जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है शीत ऋतु मे पर्याप्त गर्म कपड़े जरूर पहनें.

अंदर सूती और बाहर ऊनी कपड़े पहनकर ही बाहर निकलें ताकि शरीर का तापमान बना रहे. बहुत चुस्त कपड़े न पहनें इससे रक्त संचार बाधित हो सकता है. अत्यधिक आवश्यकता न हो तो घर से बाहर निकलने से बचें, पौष्टिक भोजन और विटामिन सी से भरपूर फल व सब्जियां नियमित रूप से खाएं, बुजुर्गों, नवजात शिशुओं और बच्चों पर विशेष ध्यान रखें. ठंड से ज्यादा नुकसान बच्चो और बुजुर्गो को ही होता है. इस लिये इनका विशेष ध्यान देने की जरूरत है. रूम हीटर का उपयोग करते समय कमरे में हवा निकासी (वेंटिलेशन) का उचित प्रबंध रखें. शीतऋतु में स्वास्थ्य खराब होने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर चिकित्सकीय सलाह अवश्य लें, झाड़ फूंक या अनावश्यक बहकावे में न आए. विशेषकर 65 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजन, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, दीर्घकालिक ह्रदय अथवा श्वसन रोग से पीड़ित व्यक्ति, बेघर व्यक्ति, निर्माण स्थल व खुली जगहों पर कार्य करने वाले श्रमिक, सड़क पर रहने वाले लोग, खुले क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले छोटे व्यवसायियों द्वारा शीतलहर के दौरान विशेष सतर्कता अपनाया जाना आवश्यक है.

बोरी बंधान के साथ किया गया पौधरोपण

नवभारत न्यूज
मऊगंज, 7 जनवरी, मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् के संभाग समन्वयक प्रवीण पाठक व जिला समन्वयक जागेश्वर ताम्रकार के निर्देशानुसार ब्लॉक समन्वयक डा. रामानंद पटेल की उपस्थिति में बोरी बंधान के साथ वृक्षारोपण किया गया.

दोपहर 12:00 बजे दिन से जनपद हनुमना अंतर्गत सेक्टर बरांव के ग्राम

पैपखार में निहाई नदी पर संस्कार मंदिर पैपखार के सामने नवांकुर संस्था ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति पटेहरा द्वारा जल संचय (बोरी बंधान) का कार्यक्रम व वृक्षारोपण भी कराया गया.

जिसमें नवांकुर संस्था ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति पटेहरा के अध्यक्ष श्रीनिवास पटेल व सचिव मदन लाल कुशवाहा, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति पैपखार के अध्यक्ष गुलाब प्रसाद कुशवाहा सचिव कुलदीप कुशवाहा और नवांकुर संस्था स्वर्गीय श्री राम सुमेर द्विवेदी स्मृति जन सेवा संस्थान गौरी से अचार्य कपिल देव द्विवेदी आदि मौजूद रहे.

औद्योगिक विकास के लिए समन्वय समिति गठित

नवभारत न्यूज
रीवा, 7 जनवरी, जिले में औद्योगिक विकास तथा निवेश प्रोत्साहन के लिए जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है.

समिति का अध्यक्ष कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल को बनाया गया है. जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है. समिति में आयुक्त नगर निगम, वनमण्डलाधिकारी, अपर कलेक्टर, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण, जिला परिवहन अधिकारी, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग को पदेन सदस्य बनाया गया है. जारी आदेश के अनुसार समिति में कार्यपालन यंत्री जल संसाधन, अधीक्षण यंत्री ऊर्जा, कार्यपालन यंत्री पीएचई, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सहायक संचालक नगर एवं ग्राम निवेश, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी तथा जिला खनिज अधिकारी को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है.

कलेक्टर ने किया अधीक्षक को निलंबित

नवभारत न्यूज
मऊगंज, 7 जनवरी, कलेक्टर संजय कुमार जैन ने शासकीय जूनियर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास खर्रा के अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

छात्रावास के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान छात्रावास भवन की स्थिति जर्जर होने तथा 50 छात्रों के प्रवेश के विरुद्ध मात्र 02 छात्रों के उपस्थित मिलने तथा छात्रावास में साफ सफाई व्यवस्था न होने सहित पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री प्राप्त न होने के आरोप में अधीक्षक उमेश कुमार साकेत को तत्काल प्रभाव तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. कलेक्टर ने कहा कि किसी तरह की लापरवाही बर्दास्त नही की जाएगी. निलंबन अवधि में अधीक्षक का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय मऊगंज नियत किया गया है.

पेयजल स्त्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने लोगों को जागरूक करें

कलेक्टर संजय कुमार जैन ने जिले के जनपद के सीईओ व नगर परिषद के सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि अपने कार्यक्षेत्र में आमजन को पेयजल व पेयजल स्त्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए जागरूक करें. यदि कोई भी व्यक्ति पेयजल स्त्रोत या पाइपलाइन को प्रदूषित अथवा क्षतिग्रस्त करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करें. कलेक्टर ने जिले के शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों को पानी को प्रदूषण मुक्त रखने के उद्देश्य से जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि 15 जनवरी से पूर्व सभी शैक्षणिक संस्थाओं में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहयोग से प्रशिक्षण पूर्ण कराएं.

भारत पेंशनर समाज का वार्षिक स्नेह सम्मेलन आयोजित

नवभारत न्यूज
मऊगंज, 7 जनवरी, भारत पेंशनर समाज मऊगंज का 24वां वार्षिक सम्मेलन श्रीसिद्ध हनुमान मंदिर परिसर में सम्पन्न हुआ.

विशिष्टि अतिथि भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर तथा समारोह की अध्यक्षता श्री बाल प्रभाकर त्रिपाठी भारत पेंशनर समाज के अध्यक्ष रहे. कार्यक्रम मे मुख्य अतिथि द्वारा मंदिर परिसर में श्रीराम जानकी जी का एवं शिवजी व श्रीसिद्ध हनुमान जी का पूजन अर्जन व दीप प्रज्वलन किया गया. इसी बीच सभी सदस्यों द्वारा श्री राम नाम संकीर्तन किया गया तदुपरांत महासचिव के द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन का वाचन किया गया. रामाश्रय द्विवेदी के द्वारा आये हुये अतिथियों का स्वागत भाषण एवं कविता के माध्यम से स्वागत किया गया. इस दौरान स्मारिका का विमोचन विशिष्ट अतिथि द्वारा किया गया तथा पेंशनरों का सम्मान भी किया गया. जिसमें 14 पेंशनारों को साल व श्रीफल भेंट किया गया तथा 34 पेंशनरों को आजीवन सदस्यता पत्र दिया गया.

उमरी ग्राम के निवासियों ने रास्ता बहाल किये जाने का किया आवेदन

नवभारत न्यूज
रीवा, 7 जनवरी, कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई करते हुए 87 आवेदकों की समस्यायें सुनीं तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के दिये निर्देश.

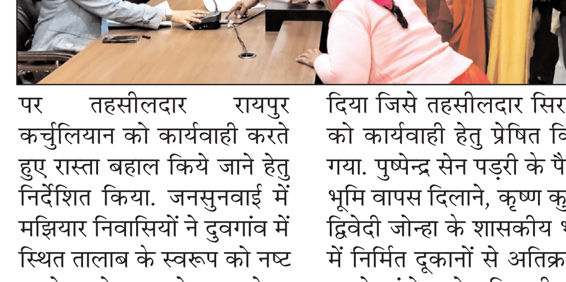

मोहन सभागार में आयोजित जनसुनवाई में मढ़ी निवासी वृद्धा सुनीता मिश्रा के आवेदन पर एसडीएम हुजूर को भरण पोषण के तहत सुविधा दिलाने के निर्देश दिये. उन्होंने उमरी निवासियों के सतगढ़ तालाब की मेंड को ध्वस्त कर रास्ता बंद करने के आवेदन पर तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान को कार्यवाही करते हुए रास्ता बहाल किये जाने हेतु निर्देशित किया. जनसुनवाई में मझियार निवासियों ने दुवगांव में स्थित तालाब के स्वरूप को नष्ट करने पर रोक लगाने का आवेदन दिया जिसे तहसीलदार सिरमौर को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया. पुष्पेन्द्र सेन पड़री के पैतृक भूमि वापस दिलाने, कृष्ण कुमार द्विवेदी जोन्हा के शासकीय भूमि में निर्मित दूकानों से अतिक्रमण हटाने, संतोष कोल निवासी जोरी के आदिवासी बस्ती में अवैध बाउंड्रीबाल निर्माण रोके जाने तथा शिवबालक पाण्डेय जवा के स्वामित्व भूमि से अतिक्रमण हटाने के आवेदनों पर संबंधित तहसीलदारों को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया.

इसी प्रकार पुरवा निवासी पाण्डेय के नक्शा तरमीम कराने के आवेदन पर तहसीलदार सिरमौर को, गोडहा निवासी दुकौड़ीलाल के स्वंय की भूमि में जबरन बन रहे मकान निर्माण को रोकने के आवेदन पर तहसीलदार सेमरिया को कार्यवाही के निर्देश दिये.

उर्वरक विक्रय लाइसेंस निरस्त

मऊगंज, 7 जनवरी, मऊगंज जिले के ग्राम हर्दी में उर्वरक विक्रेता मेसर्स साध्वी गुप्ता का उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है. कारण बताओ सूचना पत्र देने के बाद भी संतोषजनक जवा नही दिया था. उर्वरक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यूपी बागरी ने उर्वरक नमूना अमानक स्तर का पाए जाने पर दिए गए कारण बताओ सूचना पत्र का संतोषजनक जवाब न देने पर मेसर्स साध्वी गुप्ता का उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है.

कलेक्टर मऊगंज ने हनुमना में एसआईआर कार्य की समीक्षा की

नवभारत न्यूज
मऊगंज, 7 जनवरी, कलेक्टर मऊगंज संजय कुमार जैन ने मऊगंज एवं हनुमना तहसील का निरीक्षण कर एसआईआर कार्य सहित अन्य राजस्व प्रकरणों के निराकरण में किए गए कार्यों की समीक्षा की.

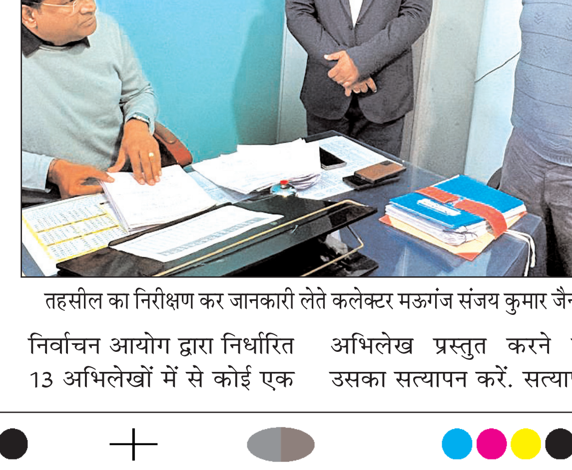

तहसील का निरीक्षण कर जानकारी लेते कलेक्टर मऊगंज संजय कुमार जैन

उन्होंने अधिकारियों को मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के संबंध में निर्देश दिए. कलेक्टर ने कहा कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के बाद जिन मतदाताओं को नोटिस दिया गया है उनके द्वारा सहायक रिटर्निंग आफीसर के समक्ष निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 13 अभिलेखों में से कोई एक अभिलेख प्रस्तुत करने पर उसका सत्यापन करें. सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, कक्षा दसवीं अथवा बारहवीं की अंकसूची, निवास प्रमाण पत्र, वनाधिकार पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि अथवा मकान आवंटन प्रमाण पत्र, केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी को जारी पेंशन प्रमाण पत्र तथा बैंक पासबुक को मान्य किया गया है.

इन प्रमाण पत्रों को संबंधित अधिकारियों को ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा. अधिकारी इनका तत्काल सत्यापन करके निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराएं. किसी भी स्थिति मंम आवेदन पत्र मिलने से पाँच दिवस के भीतर सत्यापन अनिवार्य रूप से करें. कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान सीमांकन, बंटवारा एवं नामांतरण के प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण करने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तत्परता बरतते हुए सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित कराएं. कार्य में किसी तरह की लापरवाही न करे. निरीक्षण के दौरान एसडीएम राजेश मेहता सहित अधिकारी उपस्थित रहे.

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह अधिकारी जिला- सतना (म.प्र.)

क्रमांक/ /प्रवा./अपर कले./25
सतना दिनांक 30/10/2025

//सार्वजनिक सूचना //
विशेष वितह अधिनियम 1954 की धारा 6 के तहत

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक विकास कुमार बंसल तनय श्री सुरेश कुमार बंसल उम्र 28 वर्ष (08/06/1997), स्थिति- अविवाहित स्थायी निवासी वार्ड नं. 04, छतरी टोला थाना उचेहरा तहसील उचेहरा, जिला सतना (म.प्र.) 485661 एवं आवेदिका काजल कुशवाहा पुत्री श्री प्रभुदयाल कुशवाहा, उम्र 21 (22/08/2004), स्थिति अविवाहित, स्थायी निवासी- वार्ड नं. 14, खेरमाई रोड उचेहरा, जिला सतना (म.प्र.) 485661 के द्वारा समक्ष में उपस्थित होकर विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 5 के अंतर्गत विशेष विवाह अनुष्ठापन हेतु आवेदन दिनांक 28/10/2025 को प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रस्तावित विवाह अनुष्ठापन के विरुद्ध अदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह आपत्ति लिखित रूप में इस न्यायालय में दिनांक 06.02.2026 को या इनके पूर्व न्यायालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 30/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

अपर कलेक्टर एवं विशेष विवी अधिकारी जिला सतना (म.प्र.)

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह अधिकारी जिला- सतना (म.प्र.)

क्रमांक/ /प्रवा./अपर कले./25
सतना दिनांक 10/11/2025

//सार्वजनिक सूचना //
विशेष वितह अधिनियम 1954 की धारा 6 के तहत

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक आनंद कुमार चौधरी तनय श्री राकेश चौधरी उम्र 24 वर्ष (08/11/2000), स्थिति- अविवाहित स्थायी निवासी वार्ड नं. 03, छतरी टोला थाना उचेहरा तहसील उचेहरा, जिला सतना (म.प्र.) 485661 एवं आवेदिका आकृति वर्मा पुत्री श्री दीनदयाल वर्मा, उम्र 18 (09/06/2007), स्थिति अविवाहित, स्थायी निवासी- वार्ड नं. 03, नया टोला, थाना उचेहरा, तहसील उचेहरा जिला सतना (म.प्र.) 485661 के द्वारा समक्ष में उपस्थित होकर विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 5 के अंतर्गत विशेष विवाह अनुष्ठापन हेतु आवेदन दिनांक 29/10/2025 को प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रस्तावित विवाह अनुष्ठापन के विरुद्ध अदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह आपत्ति लिखित रूप में इस न्यायालय में दिनांक 06.02.2026 को या इनके पूर्व न्यायालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 10/11/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

अपर कलेक्टर एवं विशेष विवी अधिकारी जिला सतना (म.प्र.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामपुर बाघेलान, जिला सतना (म.प्र.)

Email ID-sdmrampurbaghelan@gmail.com

क्र./09/प्रवा.2026

रामपुर बाघेलान, दिनांक 07.01.2026

सार्वजनिक उद्घोषणा

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मौजा चोरहटा की आराजी नं. 1434/1 रकवा 2.8530 हे., आराजी नं. 1436/1/1 रकवा 6.2730 हे. भूमि म.प्र.शासन उर्जा विभाग (महान ट्रांसमिशन लिमि.) के नाम आवंटन भूमि आवंटन किये जाने के संबंध आनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त के संबंध में कोई दावा/आपत्ति और सुझाव पेश करना है तो उद्घोषणा जारी होने के तिथि से 07 दिवस के भीतर दावा/आपत्ति और सुझाव अधोहस्ताक्षरी के समक्ष पेश कर सकते है। नियत तिथि के बाद कोई भी दावा / आपत्ति और सुझाव मान्य नहीं होगी।

अनुविभागीय अधिकारी
रामपुर बाघेलान, जिला सतना (म.प्र.)

पश्चिम मध्य रेल

इंजीनियरिंग विभाग खुली निविदा

निम्नलिखित कार्य के ई-निविदा भारत संघ के राष्ट्रपति के पक्ष में वरिष्ठ मंडल अभियंता (समन्वय) मंडल रेल प्रबंधक (कार्य) पश्चिम मध्य रेल्वे, जबलपुर के द्वारा आमंत्रित की जाती है। निविदा सूचना क्रमांकः डी.आर.एम.डब्ल्यू-जे.बी.पी-213-2025 दिनांकः 30/12/2025, कार्य का नाम लोकेशन सहितः वरिष्ठ मंडल अभियंता (उत्तर) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सीटीआर 38.413 किमी, टीआरआर 3.77 किमी और टीबीआर 25.30 किमी का कार्य।, कार्य का अनुमानित मूल्यः 8,41,06,992/-, बयाना राशि रूपयेः 5,70,500/-, समापन अवधिः 12 माह, निविदा सूचना क्रमांकः डी.आर.एम.डब्ल्यू-जे.बी.पी-214-2025 दिनांकः 30/12/2025, कार्य का नाम लोकेशन सहितः वरिष्ठ मंडल अभियंता (उत्तर) जबलपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सतना-मानिकपुर खंड के सगमा-मारकुंडि और बारामाफी स्टेशनों पर लाइनों की क्लियर स्टैंडिंग लेंग्थ/क्लियर स्टैंडिंग रूम की वृद्धि।, कार्य का अनुमानित मूल्यः 41,79,272/-, बयाना राशि रूपयेः 83,600/-, समापन अवधिः 06 माह, निविदा सूचना क्रमांकः डी.आर.एम.डब्ल्यू-जे.बी.पी-215-2025 दिनांकः 30/12/2025, कार्य का नाम लोकेशन सहितः वरिष्ठ मंडल अभियंता (उत्तर) जबलपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सतना-मानिकपुर और सतना रीवा खंड में यार्डों के सुधार के संबंध में सीटीआर - 1.491 किमी, टीटीआर (एफएस+टीडब्लूएस+डब्लूसीएमएस) 1/12-16 संख्या, 1/8.5-43 संख्या, टीटीआर (टीडब्लूएस+डब्लूसीएमएससी) 1/12-11 संख्या, 1/8.5-19 संख्या और टीटीआर (एफएस) 1 इन 8.5-1 संख्या का कार्य।, कार्य का अनुमानित मूल्यः 2,24,42,469/-, बयाना राशि रूपयेः 2,62,200/-, समापन अवधिः 12 माह, निविदा सूचना क्रमांकः डी.आर.एम.डब्ल्यू-जे.बी.पी-216-2025 दिनांकः 30/12/2025, कार्य का नाम लोकेशन सहितः वरिष्ठ मंडल अभियंता/पश्चिम/जबलपुर के अधिकार क्षेत्र में दो विविध कार्य। भाग-1: सहायक अभियंता/दमोह उपमंडल के अंतर्गत सलैया स्टेशन पर रेल स्तरीय प्लेटफार्म पहुंच मार्ग और जल आपूर्ति व्यवस्था के साथ ओएच स्टील स्टेजिंग सहित टीटीएम साइडिंग के निर्माण का बचा हुआ कार्य। भाग-2: सहायक अभियंता/सागर में ड्यूटी रूम, स्टोर रूम, शौचालय, महिला चेजिंग रूम आदि के प्रावधान सहित सागर उप-स्टेशन का पुनर्वास/नवीनीकरण।, कार्य का अनुमानित मूल्यः 3,80,06,173/-, बयाना राशि रूपयेः 3,40,000/-, समापन अवधिः 10 माह, निविदा सूचना क्रमांकः डी.आर.एम.डब्ल्यू-जे.बी.पी-217-2025 दिनांकः 30/12/2025, कार्य का नाम लोकेशन सहितः वरिष्ठ मंडल अभियंता/पश्चिम/जबलपुर के अधिकार क्षेत्र में दो विविध कार्य। भाग-1: गोलापट्टी से सलैया स्टेशन तक निर्माण का बचा हुआ कार्यः 4 शौचालय ब्लॉक, 30 पानी के बूथ, 800 मीटर चारदीवारी, 4 हैंडपंप/ट्यूबवेल, 400 मीटर नाली, 250 मीटर रिटेनिंग वॉल, 400 मीटर टाई बार फेंसिंग, सहायक अभियंता/दमोह उपमंडल के अंतर्गत। भाग-2: सहायक अभियंता/दमोह और सहायक अभियंता/सागरः उपमंडल के अंतर्गत रेलवे कॉलोनियों में दरवाजे, खिड़कियां, गेट, फर्श, प्लास्टर, छत से रिसाव और सीवर लाइनों की मरम्मत।, कार्य का अनुमानित मूल्यः 3,55,88,989/-, बयाना राशि रूपयेः 3,28,000/-, समापन अवधिः 10 माह, निविदा सूचना क्रमांकः डी.आर.एम.डब्ल्यू- जे.बी.पी-218-2025 दिनांकः 30/12/2025, कार्य का नाम लोकेशन सहितः गिरवर- गणेशगंज खंड पर किमी 1073.874 से किमी 1087.577 के बीच, बांदकपुर- गणेशगंज खंड पर किमी 1142.497 से किमी 1153.115 के बीच, और पथरिया-असलाना खंड पर किमी 1100.485 से किमी 1114.340 के बीच (कुल 38.176 किमी) तीसरी लाइन के लिए विविध रेलवे मरम्मत और रखरखाव कार्य, तथा टीटीआर-(टीडब्ल्यूएस+डब्ल्यूसीएमएस)-10 नग 1/12 और टीटीआर-(टीडब्ल्यूएस+डब्ल्यूसीएमएस)-5 नग 1/8.5 वरिष्ठ मंडल अभियंता (पश्चिम)/जबलपुर के अधिकार क्षेत्र में।, कार्य का अनुमानित मूल्यः 2,16,96,811/-, बयाना राशि रूपयेः 2,58,500/-, समापन अवधिः 24 माह, निविदा सूचना क्रमांकः डी.आर.एम.डब्ल्यू-जे.बी.पी-220-2025 दिनांकः 31.12.2025, कार्य का नाम लोकेशन सहितः सहायक मंडल अभियंता, कटनी उप-मंडल के अंतर्गत HDU-NMWP के बीच मौजूदा अप एवं डाउन मुख्य लाइनों तथा नई तीसरी लाइन पर IBS की व्यवस्था हेतु IBS भवन का निर्माण कार्य।, कार्य का अनुमानित मूल्यः 79,61,968/-, बयाना राशि रूपयेः 1,59,200/-, समापन अवधिः 6 माह, निविदा सूचना क्रमांकः डी.आर.एम.डब्ल्यू-जे.बी.पी-221-2025 दिनांकः 31.12.2025, कार्य का नाम लोकेशन सहितः भाग-A: जबलपुर मंडल में 12 स्थानों पर (स्टील गर्डर सहित) 24 नग सैक्रिफ़िशियल हाइट गेज की व्यवस्था का कार्य। भाग-B: जबलपुर मंडल में 6 स्थानों पर गैर-मानक हाइट गेज के स्थान पर 12 नग मानक हाइट गेज का प्रतिस्थापन कार्य।, कार्य का अनुमानित मूल्यः 5,56,71,980/-, बयाना राशि रूपयेः 4,28,400/-, समापन अवधिः 12 माह, निविदा सूचना क्रमांकः डी.आर.एम.डब्ल्यू-जे.बी.पी-01-2026 दिनांकः 01/01/2026, कार्य का नाम लोकेशन सहितः मंडल अभियंता (पूर्व) जबलपुर के अधिकार क्षेत्र में चार विविध कार्यः- भाग-1 सहायक मंडल अभियंत ब्योहारी सब डिविजन के अंतर्गत बरगवां स्टेशन पर इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन पैनल भवन का शौचालय के साथ निर्माण। (कार्य का हिस्सा-एचटी सब स्टेशन एम बाई आर और बी आर जी डब्ल्यू का निर्माण।) भाग-2 सहायक मंडल अभियंता (मेंटेनेंस) कटनी सब डिविजन के अंतर्गत न्यू कटनी जंक्शन में इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन नंबर 04 एसकेजीपी कॉलोनी का नवीनीकरण। (कार्य का हिस्सा - रीवा एस जी ओ और एन के जे में डिपो भवन(एसएसई/जेई कक्ष, ड्यूटी कक्ष, स्टोर कक्ष सहित शौचालय और पैनल/पंप कक्ष) का प्रावधान।) भाग-3 सहायक मंडल अभियंता (मेंटेनेंस) कटनी सब डिविजन के अंतर्गत न्यू कटनी जंक्शन में ऑफिसर रेस्ट हाउस का नवीनीकरण। भाग-4 सहायक मंडल अभियंता (मेंटेनेंस) कटनी सब डिविजन के अंतर्गत न्यू कटनी जंक्शन कॉलोनी में कर्मचारियों के आवासों में टाइलिंग कार्य द्वारा फर्श का रखरखाव, जल निकासी में सुधार एवम् छत के रिसाव का उपचार।, कार्य का अनुमानित मूल्यः 2,16,41,609/-, बयाना राशि रूपयेः 2,58,200/-, समापन अवधिः 12 माह, निविदा सूचना क्रमांकः डी.आर.एम.डब्ल्यू-जे.बी.पी-02-2026 दिनांकः 01/01/2026, कार्य का नाम लोकेशन सहितः मंडल अभियंता (पूर्व) जबलपुर के अधिकार क्षेत्र में दो विविध कार्यः- भाग एः सहायक मंडल अभियंता (मेंटेनेंस) कटनी सब डिविजन के अंतर्गत न्यू कटनी जंक्शन पर ए एम एम बॉक्स-एन/न्यू कटनी जंक्शन के लिए आर ओ एच में स्टोर शेड का निर्माण। भाग बीः सहायक मंडल अभियंता (मेंटेनेंस) कटनी सब डिविजन के अंतर्गत एनकेजे कॉलोनी में ए डी एम एम/बॉक्स-एन/एन के जे के लिए स्टोर डिपो बुनियादी ढांचे (शेड के साथ स्टोर, कार्यालय, फर्श आदि) का निर्माण। (कार्य का हिस्साः- एनकेजे में बॉक्सएन स्टोर डिपो की स्टोर गोदाम भवन और हैंडलिंग उपकरण की व्यवस्था, स्टोर डिपो के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए।), कार्य का अनुमानित मूल्यः 6,13,56,639/-, बयाना राशि रूपयेः 4,56,800/-, समापन अवधिः 12 माह, निविदा सूचना क्रमांकः डी.आर.एम.डब्ल्यू-जे.बी.पी-03-2026 दिनांकः 01/01/2026, कार्य का नाम लोकेशन सहितः सहायक मंडल अभियंता (मेंटेनेंस) कटनी सब डिविजन के अंतर्गत न्यू कटनी जंक्शन पर जे एल डब्ल्यू की ओर 10 मीटर और कटनी की ओर 20 मीटर तक एन पी ओ एच शेड का विस्तार।, कार्य का अनुमानित मूल्यः 3,31,58,544/-, बयाना राशि रूपयेः 3,15,800/-, समापन अवधिः 12 माह, निविदा सूचना क्रमांकः डी.आर.एम.डब्ल्यू-जे.बी.पी-04-2026 दिनांकः 01/01/2026, कार्य का नाम लोकेशन सहितः सहायक मंडल अभियंता, कटनी उप-मंडल के अंतर्गत बीना-कटनी तृतीय लाइन परियोजना के संबंध में कि.मी. 1193 (गोलापट्टी) से कि.मी. 1232 (न्यू मझगवां फाटक) के बीच यात्री सुविधाओं से संबंधित शेष कार्य, जैसे 05 नग शौचालय ब्लॉक, 40 नग जल बूथ, साइड ड्रेन तथा प्लेटफार्म CC कार्य आदि।, कार्य का अनुमानित मूल्यः 4,12,39,863/-, बयाना राशि रूपयेः 3,56,200/-, समापन अवधिः 12 माह, उपरोक्त सभी निविदाओ की निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय 15.00 बजे तकः 23.01.2026, उपरोक्त सभी निविदाओ की निविदा खुलने का समय 15:15 बजे तिथिः 23.01.2026। उपरोक्त ई-निविदा की संपूर्ण जानकारी वेबसाइट https://ireps.gov.in उपलब्ध है एवं इसकी पूरी जानकारी मंडल रेल प्रबंधक (कार्य) कार्यालय पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर के नोटिस बोर्ड पर रखी गई है।

(हस्ता)
मंडल रेल प्रबंधक (कार्य), पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर